

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खंड 1
PART III—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 1973/श्रावण 8, 1895

No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 1973/SRAVANA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961
(43 OF 1961)

Jaipur, the 27th July 1973

No. N-12/73(1)/4/591.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land Chak situated at Nohar (and more fully described No. 27RWD in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Nohar on 15th January, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Mazar. w/o Devi Dayal, (2) Smt. Nand Devi w/o. Bharu Ram,
(3) Smt. Gomti w/o. Hans Raj, Nohar—(Transferor).
- (2) Smt. Sajna w/o. Chetaram Jat, r/o. Naphere Sangaraa—(Transferee).
- * (3) Shri/Smt./Kumari..... (Person in occupation
of the property).
- * (4) Shri/Smt./Kumari..... (Person whom the undersigned
knows to be interested in the
Property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land area 18 Bigha, falling in chak No. 27 R.W.D. which falls under the R.C.P. area in tehsil Nohar.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व (1) के अधीन सूचना

**निरीक्षी सहायक प्राप्त आयकर, अर्जन रेंज, जयपुर
का कार्यालय**

जयपुर, 27 जुलाई, 1973

संख्या एन-12/73 (1)/4/591/4. —यतः मुझे, श्री० पी० मित्तल आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रु० है और जिसकी सं० कृषि भूमि चक्र नं० 27 आर० डब्ल्यू० डी० है जो नोहर में स्थित है (और इससे उपाध्यय अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नोहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जनवरी 15 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,

ऐसे दृश्यमान प्रतिपन्ल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिपन्ल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या
- (ख) ऐसी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्त्रियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः अब धारा 269-प के अनुकरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती मेजर, पत्नि देवी दयाल, 2. श्रीमती नन्द देवी पत्नि भैरु राम
3. श्रीमती गोमति पत्नि हंमराज, नोहर (अन्तरक)

2. श्रीमती मजना पत्नि चैताराम जाट निवामी मफेरा संगरिया
 (अन्तरिती) को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करना है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो —

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखत में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिस पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि क्षेत्रफल 18 बीघा, चक्र नम्बर, 27 ग्राम० डब्ल्यू. डी० जी ग्राम० सी पी० क्षेत्र के अन्तर्गत नोहर तहसील में है।

No. G-1/73(2)/8/703.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Karnisar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ganganagar on 17th January, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

- (1) Shri Narayan Singh s/o Khiya Ram Jat, r/o Karnisar Teh, Suratgarh—
(Transferor).
- (2) Shri Satish Chander s/o Loon Karan, Advocate, Ganganagar—(Transferee).
- * (3) Shri/Smt./Kumari, ... (Person in occupation of the property).
- * (4) Shri/Smt./Kumari, ... (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

25 Bigha Agricultural land bearing sq. No. 32/344 Killa No. 1 to 25, in Karnisar.

यपर, 28 जुलाई 1973

संख्या जो-1/73 (2)/8/703.—यतः मुझे वी० पी० मिस्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है जो करनीसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय गंगानगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जनवरी 17 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखन में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या घनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अधिलिखित किए गए हैं ।

अतः एव, धारा 269-घा के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

- 1 श्री नारयण सिंह, पुत्र खीया राम जाट, निवासी करनीसर तहसील सूरसगढ़ (अन्त

2. श्री सतीश चन्द्र, लूण करण, एडवोकेट, गंगा नगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखत में किए जा सकेंगे।

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में लिए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिक्ष को दी जाएगी।

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

साष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

25 बोधा कृति भूमि, खसरा नम्बर 32/344 किल्ला नं० 1 से 25

No. K-15/73(2)/2/917.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under section 289B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Staff Quarters No. 1 situated at Kota (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kota on 31st January, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

- (1) Shri Maharao Bhim Singhji of Kota—(Transferor).
- (2) Shri Satish Chander s/o Loon Karan, Advocate, Ganganagar—(Transferee).
- *(3) Shri/Smt./Kumari.....(Person in occupation of the property).
- * (4) Shri/Smt./Kumari.....(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Building on the Station Road Kota, known as staff quarter No. 1. A two storied House covering nearly 4357 sq. feet (3371 sq. feet on ground floor & 986 sq. feet on first floor) is there on the plot. Besides, garrage staff quarters covering an area of 986 sq. ft. The plot of 5000 sq. yards is surrounded by a compound wall.

संख्या के-15/73(2)/2/917.—यतः मुझे बी० पी० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) की धारा 269B के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० स्टाफ-क्वार्टर नं० 1 है जो कोटा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जनवरी, 31 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमात प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे

दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरीति (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन में अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरीति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण अभिलिखित किए गए हैं।

अत एव, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री महाराव भीम सिंह जी कोटा (अन्तरक)
2. श्री उम्मेद एस्टेट लि०, उम्मेद भवन, कोटा (अन्तरीति)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ:—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उस की सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरीति को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोटा स्टेशन रोड पर स्टाफ क्वार्टर नं० 1 के नाम से जाना जाने वाला भवन, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4357 वर्गफुट है (ग्राउन्ड फ्लोर 3371 वर्गफुट एवं फर्स्ट फ्लोर 986 वर्गफुट) इसके अलावा गैररज, स्टाफ-क्वार्टर जिनका कि क्षेत्रफल 986 वर्गफीट है। प्लॉट 5000 वर्गगज चारों तरफ से चारदिवारी से घिरा हुआ है।

No. K-15/73(2)/24/924.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Kanta Ghar situated at Kota (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kota on 31st January, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

- (1) Shri Maharao Bhim Singhji of Kota—(Transferor).
- (2) Shri Umed Estate Ltd., Umed Bhawan, Kota.—(Transferee).
- * (3) Shri/Smt./Kumari (Person in occupation of the property).
- * (4) Shri/Smt./Kumari (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days

from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transference of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

The building is a three storied construction in lime & mud. The plot is 20529 sq. feet. The covered area is as below:

Ground floor 12,914 sq. feet.

First floor 11,594 sq. feet.

Second floor 5,094 sq. feet.

V. P. MITTAL,

Competent Authority.

Inspecting Asstt. Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Jaipur

सं० के-15/73(2)/24/924.—यतः मुझे बी० पी० मित्तल आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कान्ता घर है जो कोटा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में भारतीय रजिस्ट्री-कृण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जनवरी 31 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरीति (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए, मुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए, कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः एष, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महाराव भीम सिंह जी साहिब कोटा (अन्तरक)

2. उम्मेद एस्टेट लि०., उम्मेद भवन, कोटा (अन्तरिती)
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितव्य कमी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रथोहस्तावरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

यह तीन मंजिल की एक पुरानी इमारत है जो गारे व चुने से बनी हुई है । लाट का क्षेत्र-फल 20529 वर्ग फीट है । निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार है :—

ग्राउंड फ्लोर	12914 वर्ग फीट
प्रथम मंजिल	11594 वर्ग फीट
दूसरी मंजिल	5094 वर्ग फीट

बी० पी० मिस्तल,
सक्षम प्राधिकारी
[महायुक्त आयुक्त आयकर (निरीक्षण)
अर्जुन रेन्ज, जयपुर]